

24.06.2014

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।

राजस्व अल्पसंख्यक / प्र. इ. नं. 101/102 एवं अंतिम
आदेश का अंतिम प्रारूप हुआ। राजस्व अल्पसंख्यक के
अधीन के अंतर्गत इलाहाबाद में अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम
पंजी 2-1-102 के अंतर्गत आगे भू-राजस्व वसूली का फैसला करने
पर पाला कि मीठा मिठाई के माध्यम-पंजी 2 के अंतर्गत 104/105
पर ईश चन्द्रजी सिंह सिंह दुहानी/सिंह के माध्यम से वंदेवतारी वाद
सिंह - 44/1995-96 के अंतर्गत अंतर्गत माध्यम से।
अंतर्गत के अंतर्गत पर अंतर्गत संस्थापक प्रतीत नहीं होता है।
अंतर्गत संस्थापक अंतर्गत की अंतर्गत ही वाद सिंहावा सहा है।

अंतर्गत अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत माध्यम -
अंतर्गत अंतर्गत नं. 159 के अंतर्गत अंतर्गत 27 अंतर्गत 279/C
अंतर्गत 1.00 अंतर्गत पर अंतर्गत अंतर्गत हुआ। वाद अंतर्गत अंतर्गत -
50/2016 में वंदेवतारी चन्द्रजी सिंह 5/0 दुहानी/सिंह के
राजस्व अंतर्गत का अंतर्गत करने हुए अंतर्गत देखा। अंतर्गत में
वंदेवतारी के अंतर्गत में अंतर्गत है।

राजस्व अल्पसंख्यक / प्र. इ. नं. 101/102 एवं अंतिम
आदेश के अंतर्गत अंतर्गत के अंतर्गत पर अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत
संस्थापक प्रतीत नहीं होता है।
अंतर्गत वाद की अंतर्गत समाप्त की जाती है।

अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत

24.06.2014

अंतर्गत अंतर्गत

मना

24.06.2014

अंतर्गत अंतर्गत
मना

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी महोदय
मनातू।

विषय :- वाद अभिलेख संख्या 50/2016(अन्तर्गत धारा 4(h),BLR Act,1950) से
सम्बंधित स्थल जॉच प्रतिवेदन का समर्पण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांगत सम्बन्धित प्रतिवेदित करना है कि ग्राम मिठरिया
थाना मनातू, थाना नम्बर 959 के अन्दर खाता 27 प्लॉट 239/1
रकबा 1.00.00 पर स्थल जॉच हेतु गया। वाद अभिलेख संख्या 50/2016(अन्तर्गत धारा
4(h),BLR Act,1950) में बन्दोवस्तधारी चन्द्रदीप सिंह S/o दुसैनी सिंह
के राजस्व प्रमाण का अवलोकन करते हुए दखल देखा
वर्तमान में बन्दोवस्तधारी के दस्तावेज में शुद्धि है।

अतः आवश्यक कारवाई हेतु जॉच प्रतिवेदन सादर समर्पित है।

विश्वासभाजन

अमीन
13/06/24

अंचल अमीन, मनातू

15.06.2017

सेवा में,

श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय

मनातु, पलामू।

विषय :- वाद अभिलेख संख्या 50/2016-17 (अंतर्गत धारा (4h), BLR Act 1950) के सम्बन्ध में जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय के निर्देशानुसार मौजा भितकिला के खाता 27 प्लॉट 279/C रकबा 1.00 ऐ भूमि से सम्बंधित जाँच हेतु स्थल पर अंचल अमीन के साथ पहुंचा। स्थल जाँच के क्रम में पाया की उक्त भूमि पर रैयत चन्द्रदीप सिंह पिता - हुसैनी सिंह के दखल में है।

हल्का कार्यालय में उपलब्ध ऑफलाइन मांग पंजी 2 से रैयत के द्वारा दिए गये भू-राजस्व दस्तावेज का मिलान करने पर पाया की मौजा भितकिला के मांग पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 204/7 पर रैयत चन्द्रदीप सिंह पिता - हुसैनी सिंह के नाम से बंदोबस्ती वाद संख्या 44/1995-96 के द्वारा उक्त भूमि का मांग कायम है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे संदिग्ध जमाबंदी की सूची से बाहर किया जा सकता है।

अनुलग्नक :-

1. अंचल अमीन का स्थल जाँच प्रतिवेदन
2. रैयत के द्वारा दिया गया भू-राजस्व दस्तावेज

विश्वासभाजन

[Signature]
15.06.2017

राजस्व उप निरीक्षक (हल्का IV)

महाशय,
राजस्व उपनिरीक्षक एवं जमाबंदी
के ज्ञापन प्रतिवेदन के आधार पर उक्त जमाबंदी
संदिहास्पद प्रतीत नहीं होता है।

[Signature]
15/06/2017
C-1

सेवा में,

श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय

मनातु, पलामू।

विषय :- वाद अभिलेख संख्या 50/2016-17 (अंतर्गत धारा (4h), BLR Act 1950) के सम्बन्ध में जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय के निर्देशानुसार मौजा भितकिला के खाता 27 प्लॉट 279/C रकबा 1.00 ऐ भूमि से सम्बंधित जाँच हेतु स्थल पर अंचल अमीन के साथ पहुंचा। स्थल जाँच के क्रम में पाया की उक्त भूमि पर रैयत चन्द्रदीप सिंह पिता - हुसैनी सिंह के दखल में है।

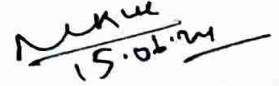
हल्का कार्यालय में उपलब्ध ऑफलाइन मांग पंजी 2 से रैयत के द्वारा दिए गये भू-राजस्व दस्तावेज का मिलान करने पर पाया की मौजा भितकिला के मांग पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 204/7 पर रैयत चन्द्रदीप सिंह पिता - हुसैनी सिंह के नाम से बंदोबस्ती वाद संख्या 44/1995-96 के द्वारा उक्त भूमि का मांग कायम है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे संदिग्ध जमाबंदी की सूची से बाहर किया जा सकता है।

अनुलग्नक :-

1. अंचल अमीन का स्थल जाँच प्रतिवेदन
2. रैयत के द्वारा दिया गया भू-राजस्व दस्तावेज

विश्वासभाजन


15.06.24

राजस्व उप निरीक्षक (हल्का IV)